

प्रपक

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अनु सचिव

सेवा में,

कुलसचिव,
श्रीधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

महोदय,

आपके पत्र संख्या-सम्बद्धता/ए-१०/८५, दिनांक १६.६.९७ के सन्दर्भ मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा-३७(२) के अधीन प्रस्तावित राजकीय महाविद्यालय, बादलपुर (गाजियाबाद) के स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, भूगोल व इतिहास एवं विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान और वाणिज्य विषयों में दिनांक ०१.०७.९७ से आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है।

भवदीय,



(एल० मिल्टन)

कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. अध्यक्ष, उच्च शिक्षा आयोग, उत्तर प्रदेश १८-ए, न्याय मार्ग (हेस्टिंग्स रोड) इलाहाबाद।
२. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, लखनऊ।
३. कम्प्यूटर सेल, राजभवन, लखनऊ।

(एल० मिल्टन)
कुलाधिपति के अनु सचिव

दूरभाष : PBX 562021, 22, 24, 563323



श्री ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ Ch. Charan Singh University, Meerut

पंजीकृत

संख्या/दिनांक:

दिनांक: 16-01-98

श्री ० चरण सिंह विश्वविद्यालय,
बोकारपुर, गौतम बुद्ध नगर

विषय- छात्रों, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों के अर्न्तगत अस्थाई सम्बद्धता का प्रदान किया जाना।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 12-01-98 का संदर्भ ग्रहण करें। उपरोक्त के संदर्भ में मुझे आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि माननिय कला अधिपति महोदय द्वारा अपने पत्र संख्या 50-7159/जी०रस्त० दिनांक 8-12-97 के माध्यम से आपके महाविद्यालय को दिनांक 01-07-97 से आगामी तीन वर्षों के अवधि के लिये निम्नोक्त विषयों में अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की है:-

क.सं० 37
दिनांक 5-2-98
पत्र सं० 5298
सम्बद्धता

कला संकाय - स्नातक स्तर पर - हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, भूगोल एवं इतिहास।
विज्ञान संकाय - स्नातक - भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्यसंकाय - बी० एम० विज्ञान।

उपरोक्त के संदर्भ में मुझे आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि कुलपति महोदयने, उक्त स्वीकृति के आधार पर, अस्थाई स्वीकृति प्राप्त विषयों में शैक्षणिक सत्र 1997-98 से एक सैकशन में 60 छात्रों की अधिकतम संख्या में कक्षाएं आरम्भ किये जाने की स्वीकृति निम्नोक्त शर्तों के अधीन प्रदान की है:-

- 1- उक्त विषयों में न्यूनतम 25 छात्रों के उपलब्ध होने पर ही शिक्षण कार्य आरम्भ किया जाएगा।
- 2- प्रवेश पाठ्यक्रम, प्रवेश नियमावली के अर्न्तगत, आरक्षण सम्बन्धी नियमों को ध्यान में रखते हुए पत्र प्राप्त से 15 दिनों के अन्दर काया जाएगा।
- 3- उक्त के सम्बन्ध में शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त नियमों-परिणामों का पूर्णतः पालन किया जाएगा।

श्री ० चरण सिंह विश्वविद्यालय
बोकारपुर, गौतम बुद्ध नगर
मेरठ

05
5-2-98



23236351, 23232701, 23232721, 23234116
23235533, 23232317, 23232675, 23234133

www.ugc.ac.in



सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-110 002
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADURSHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI-110 002

August 2007
10 AUG 2007

F.8-14/2005 (CPP I)

The Registrar,
Ch. Charan Singh University,
Meerut (U.P.)

Sub- List of Colleges prepared under Section 2 (f) & 12 (B) of the UGC Act, 1956-
Inclusion of New Colleges.

Sir,

I am directed to refer to the letter No. 14/210-102410/2007-2008 dated 14.09.2007 received from the College on the subject cited above and to say that the name of the following College has been included in the list of Colleges prepared under Section 2 (f) & 12 (B) of the UGC Act, 1956 under the head Government Colleges teaching upto Post Graduate Degree:-

Name of the College	Year of Establishment	Remarks
Kumari Mayawati Government Mahila Mahavidyalaya, Badalpur, Gautam Buddha Nagar (U.P.) (On permanent affiliation)	1997	The College is eligible for Central assistance in terms of the Rules framed under Section 12 (f) of the UGC Act, 1956

The documents submitted by the College have been accepted by the Commission.

Yours faithfully

Joint Secretary

Copy forwarded to:-

1. The Principal, Kumari Mayawati Government Mahila Mahavidyalaya, Badalpur, Gautam Buddha Nagar (U.P.)
2. The Secretary, Government of India, Ministry of Human Resource Development, Department of Secondary Education & Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi-110 001.
3. The Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Department of Higher Education, Lucknow (U.P.)
4. The Joint Secretary, UGC, Northern Regional Office, Lucknow (U.P.)
5. Publication Officer (Website-UGC), New Delhi
6. Section Officer (F.D.-III Section) U.G.C., New Delhi
7. All Sections, U.G.C., New Delhi
8. Guard file

ISSUED